

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सूरि.स 18 दिनांक 31.08.2016

2.अधिनियम पी.सी एक्ट 49/88 धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं - - - - -

(क) घटना का दिन बुधवार दिनांक से दिनांक 31.08.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 31.08.2016 समय 03.50 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 11 समय 04.00 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया स्पेशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थान का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) जानिब पूर्व लगभग 40 कि०मी०

(ख) पता:-

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम)- सैन्ट्रल थाना फरीदाबाद

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :-

(क) नाम : ज्ञानेन्द्र सिंह (ख) (पिता/पति का नाम) वेदराम

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ङ) पासपोर्ट सं०

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) (पता) गांव भतौला जिला फरीदाबाद।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. दयानन्द,

पी०ओ० स्टाफ, फरीदाबाद।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी निरीक्षक दिनेश कुमार SVB Unit FBD बदस्त EASI रणबीर सिंह न० 2100/GGN बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई, जिसका मजबूत जैल है, "सेवा मे, निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद श्रीमान जी, निवेदन यह है कि मैं ज्ञानेन्द्र सिंह s/o श्री वेदराम गांव भतौला फरीदाबाद का रहने वाला हूँ एक पुलिस का हवलदार जिसका नाम दयानन्द है। मेरे पास आया और कहा कि आप कोर्ट मे

पी ओ हो रहे है। मैं आपके उपर 174 का मुकदमा लगा दुगां नही तो मुझे 15000 रुपये रिश्वत दे दो मैंने कहा मेरे पास पैसे नही है। तो मुझे 2 बजे तक घुमाता रहा फिर मुझसे कहा कि 12000 रुपये दे दो 3000 बाद मे दे देना तो डर के मारे मैंने उसको 12000 रुपये दे दिये जब मैं दिनांक 24.08.2016 को कोर्ट मे पेश हुआ तो मेरी जमानत होगी परंतु फिर भी दयानन्द हवलदार अपने मोबाईल न0 9990523725 से मेरे मोबाईल न0 9560319325 पर बार-2 फोन करके कहा है कि तुम्हारे उपर एक और केस है। जिसमे आपकी गिरफ्तारी वारंट मेरे पास है। अगर 3000 रुपये आपने नही दिये तो मे उसमे तुम्हे गिरफ्तार कर लुगां मै रिश्वत देना नही चहाता उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। हस्ता0 ज्ञानेन्द्र सिंह 9560319325" कार्यवाही पुलिस- आज मन निरीक्षक मय स्टाफ के हाजिर कार्यालय SVB फरीदाबाद हूँ कि मुदई ज्ञानेन्द्र सिंह उपरोक्त ने हाजिर कार्यालय आकर एक लिखित दरखास्त बाबत मांगने रिश्वत बर खिलाफ दयानन्द हवलदार मन निरीक्षक को पेश की, जो मजबून दरखास्त से सूरत जुर्म जेर धारा 7 पी0सी0 एक्ट का सरजद होना पाया जाने पर मन निरीक्षक ने एक रैडिंग पार्टी जिसमे, सि0 सन्दीप कुमार न0 659/फरी0, सि0 सोनू सिंह न0 686/फरी0 व सि0 नरेन्द्र न0 923/मेवात को शामिल करके तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त EASI रणबीर सिंह न0 2100/GGN के अरसाल थाना है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्वा से सूचित करे। स्पैशल रिपोर्ट बजरिया स्पैशल मैसेन्जर इलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मय मुदई मय रैडिंग पार्टी मय तफतीशी बैग मय लैपटाप बा सवारी गाडी सरकारी न0 HR-55J 0333 के बराये अनुमति रैड व नियुक्त Duty मजिस्ट्रेट रवाना उपायुक्त महोदय कार्यालय फरीदाबाद का होता हूँ। हस्ता- अग्रेजी दिनेश कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो फरी0 दिनांक 31.08.2016 समय 01:45PM अज- SVB/FBD अज थाना :- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बाद जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रथम सूचन रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरियां कार्बन एक ही समय में चाक की गई, जो सेवा में अफसरान बाला व इलाका मजिस्ट्रेट सहाब नियमानुसार भेजी जाएगी। एक पर्त प्रथम सूचना रिपोर्ट बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा मे ईलाका मजिस्ट्रेट सहाब फरीदाबाद बदस्त आरिन्दा EASI रणबीर सिंह न0 2100/GGN भेजी जा रही है। असल तहरीर मय मिशाल पुलिस भी मौका पर पहुंचाने हेतु इसी आरिन्दा EASI के हवाले की गई।

Satyen Prakash



हस्ता अग्रेजी/- सतप्रकाश

थाना प्रभारी का नाम

नाम : सतप्रकाश

पद : निरीक्षक

सख्यां : RR 202

दिनांक 31.08.2016 समय 05.25 पी.एम

M